②

दिनांक	टी०ए० मिस केस सं० 230/2019-20 आदेश	अभ्युक्ति
20.01.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **(1) प्रधान सिंह देवगम, पिता-स्व० सतारी देवगम, (2) सतारी देवगम, पिता-स्व० सींगा देवगम, ग्राम-लुपुंगुटू, थाना- मुफ्फसिल,** जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-लुपुंगुटू, **थाना-645,** खाता नं०-**48,** प्लॉट नं०-**1819, रकवा- 0.04 एकड़** भूमि क्रेता **जगरानी सुन्डी, पिता-श्री सिदिऊ सुन्डी, ग्राम-बड़ा गुईरा** थाना- **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। **अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदकों के नाम से ना०मु०सं० 283/05-06 के द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक**-24,** दिनांक **09.01.2020** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता **जगरानी सुन्डी, पिता-श्री सिदिऊ सुन्डी, ग्राम-बड़ा गुईरा** थाना- **मुफ्फसिल** के पास **1,23,000.00/-(एक लाख तेईस हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.50 एकड़** भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** एवं **ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **(1) प्रधान सिंह देवगम, पिता-स्व० सतारी देवगम, (2) सतारी देवगम, पिता-स्व० सींगा देवगम, ग्राम-लुपुंगुटू,** थाना- **मुफ्फसिल,** क्रेता **जगरानी सुन्डी, पिता-श्री सिदिऊ सुन्डी, ग्राम-बड़ा गुईरा** थाना- **मुफ्फसिल** के पास. 1,23,000.00/-**(एक लाख तेईस हजार) रूपये** में **मौजा** मौजा-लुपुंगुटू, **थाना-645,** खाता नं०-**48,** प्लॉट नं०-**1819, रकवा- 0.04 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की....अनुमति....दी जाती है। लेखापित। [signature] भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 20/1/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner